प्रेस नोट

दीव जिला के पंचायतों एवं नगरपालिका परिषद क्षेत्र के ड्राफ्ट मतदाता सूची को चरणबद्ध तरीके से तैयार करने और मतदाता सूची के अंतिम रूप देने का कार्य शुरू

दीव दिनांक :- 02/06/2020,

दीव जिला के सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संघ प्रदेश के चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली के आदेशानसुार दीव जिला के पंचायतों एवं नगरपालिका परिषद क्षेत्र के मतदाता सूची में संशोधन का काम दिनांक 01/06/2020 से शुरू किया गया है । पंचायतों एवं नगरपालिका परिषद क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची लोकसभा के लिए प्रकाशित दिनांक 01/01/2020 की मतदाता सूची को संदर्भ मे लिया जाएगा अर्थात इसे ही आधार माना गया है । इसके तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या नाम निकलवाने या किसी भी प्रकार के संशोधन से संबंधित प्रक्रिया की जाएगी । ड्राफ्ट मतदाता सूची दिनांक 01/06/2020 से 10/06/2020 तक तैयार किया जाएगा जबकि 11/06/2020 से 13/06/2020 तक इस ड्राफ्ट सूची का मुद्रण और 15/06/2020 को इसका प्रकाशन किया जाएगा । ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद 16/06/2020 से 30/06/2020 तक की अवधि के दौरान दीव जिला के नागरिक इस पर अपना सुझाव और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं । नागरिकों से प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों का दिनांक 01/07/2020 से 10/07/2020 तक के बीच निपटान किया जाएगा और तदुपरांत दिनांक 11/07/2020 से 14/07/2020 तक मतदाता सूची को तैयार कर इसका मुद्रण किया जाएगा । सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 15/07/2020 को किया जाएगा।

दीव जिला के नागरिक मतदाता सूची में संशोधन से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य के लिए उक्त अवधि के दौरान चुनाव प्रकोष्ठ, दीव या मामलतदार / एईआरओ से संपर्क कर सकते हैं ।